समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल ॥ म॰प्र॰ ॥

प्र॰क्र॰ /निगरानी/2015-15

खुशीलाल पुत्र बोंदर आयु 63 वर्ष जाति खाती

निवासी ग्राम पाटन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर-----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1/विन्दाबाई पत्नि स्व॰ कैलाश वयस्क

निवासी-कृषक ग्राम मित्तूखेड़ी तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर

2/राजामुन्नी पत्नि जगदीश प्रसाद वयस्क

निवासी सूरजपोल नरसिंहगढ जिला राजगढ म॰प्र॰

3/सावित्रीबाई पत्नि औमप्रकाश वयस्क

निवासी फ्रीगंज मण्डी सीहोर, जिला सीहोर म॰प्र॰-------रेस्पान्डेन्टस ।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म॰प्र॰भू॰रा॰संहिता॰ 1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 16/10/2015, प्र॰क्र॰ 144/अपील/2012-13

विन्दाबाई आदि विरूद्ध खुशीलाल, पारित द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी महोदय राजस्व तहसील सीहोर, जिला सीहोर ॥म॰प्र॰॥

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता माननीय अधि॰प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से असंतुष्ट एंव दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एंव विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

1:- यहकि निगरानीकर्ता के हित में ग्राम मित्तूखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 49-50/1 एंव 55/3 कुल किता 2 रकबा 1.925 हैक्टयर लगान 16-27 रूपये का नामांतरण जरिये संशोधन पंजी क्रमांक01 दिनांक 20/9/84 को सूचना की दिनांक अंकित करते हुए दिनांक 15/11/1984 को नामांतरण आदेश पारित कर पंजी पर दर्ज नामांतरण प्रविष्ठि प्रमाणित की गई थी। तदानुसार विगत 29-30 वर्षों से निरंतर निगरानीकर्ता वाद ग्रस्त भूमि का रिकार्डेड भूमि स्वामी अंकित होकर आधिपत्य में रहते फसल ला- ला आरहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -3590-II/2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश खुशीलाल / बिन्दाबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. गुरौदिया उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 16.10.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 एवं धारा 5 के आवेदन के साथ यह अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गयी कि वे प्रथम श्रेणी के वारिस है ऐसी स्थिति में उन्हें अपील करने की अनुमति दी जावे एवं धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब माफ किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.84 से पूर्व विवादित भूमि कैलाशसिंह आत्मज खुशीलाल के नाम दर्ज रही है और अनावेदिका कमांक 1 स्व0 कैलाश सिंह की पत्नी है। इस तथ्य को आवेदक द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि मृतक कैलाश सिंह के पिता के नाम की बजाय उसकी पत्नी के नाम नामांतरित होना चाहिए थी, जो उसकी विधिक वारिस थी। इसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 एवं समय विधान की धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की सम्भावना हो, वहीं अभी प्रकरण	

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होकर अंतिम तर्क हेतु नियत है जहां पर उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, उभयपक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.10.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश स्थिर रखा जाता है, तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को पर्याप्त सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करे। परिणामस्वरूप यह निगरानी उपरोक्तानुसार इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

4.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य